सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्याालय, दईजर, जोधपुर

क्रमांक : F.सपपुसुदान्या/विवि/2013–14/ दिनांक :

खुली निविदा सूचना

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर हेतु उच्च कुशल, कुशल, अर्द्ध कुशल एवं अकुशल श्रमिक, श्रमिक ठेके पर उपलब्ध करवाने बाबत् मोहरबन्द निविदाऐं सक्षम एवं विभाग में पंजीबद्ध सेवा प्रदाताओं / पलेसमेन्ट एजेन्सीज से आमंत्रित की जाती है। ऐसी निविदाऐं दिनांक 20.02.14 को कार्यालय समय तक बेची जाकर अथवा website www.policeuniversity.ac.in से download कर निविदा शुल्क व धरोहर राशि के साथ दिनांक 20.02.14 को 5.00 बजे तक प्राप्त की जाकर दिनांक 21.02.14 को 3.0 0 बजे उपस्थित निविदादाताओं / उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

क्र. सं.	विवरण	संख्या	अनुमानित व्यय	निविदा शुल्क	धरोहर राशि
1.	उच्च कुशल, कुशल, अर्द्ध कुशल एवं अकुशल श्रमिक	30 लगभग	25 लाख	400/–	50,000

शर्तें :–

1. निर्धारित प्रपत्र पर ही निविदा मान्य होगी।
2. अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. बिना कोई कारण बताए न्यूनतम दर अस्वीकृत करने का अधिकार। निम्नहस्ताक्षरकर्ता सक्षम अधिकारी होंगे।

कुलसचिव

SPUJ
SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE
JODHPUR

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्याालय, दईजर, जोधपुर

क्रमांक : सपपुसुदान्या/विवि/2013–14/ **दिनांक :**

मैसर्स ....

....

....

—:: निविदा फार्म::—

इस विश्वविद्यालय के लिए अनुबन्ध पर कम्प्यूटर ऑपरेटर/उच्चकुशल /कुशल/अर्द्धकुशल/ अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता हैं, जिसके लिए दरें एक वर्ष की अवधि के लिए मांगी गई हैं। इस सम्बन्ध में शर्ते एवं नियम निम्न प्रकार हैं। कृपया दरें निविदा में उल्लेखित शर्तो को पढ़कर दें जिसमें बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1. निविदा एक वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानुसार अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती हैं।
2. निविदा में अंकित दरों में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. ठेकेदार को प्रतिदिन 08 (आठ) घंटे सेवा देने के लिए व्यक्ति लगाने होंगे एवं उन्हें जहा कहीं कार्य करने के लिए कहा जाए वहां से नियंत्रण अधिकारी द्वारा नियत समय पर उपस्थित रह कर कार्य करवाना होगा। आवश्यकतानुसार अन्य कार्य करने के लिए भी ठेकेदार को कहे जाने पर व्यक्ति उपलब्ध करवाने होंगे।
5. दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट एवं साफ अंकित करें, दरे प्रतिदिन प्रतिमाह स्पष्ट दी जावें।
6. श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से मासिक भुगतान अगले माह की 5 तारीख तक करना अनिवार्य होगा।

7. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम दर वाली निविदा स्वीकार नहीं की जावेंगी।
8. कुशल एवं अकुशल श्रमिकों का बिल प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रभारी, सम्बन्धित विभाग से प्रमाणित कराकर प्रेषित करना होगा। बिल में से नियमानुसार आयकर की कटौति कर भुगतान किया जायेगा।
9. विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार के आदेशानुसार ही श्रमिक उपलब्ध कराने होंगें, अर्थात् प्रत्येक पारी में श्रमिक 8–8 घन्टें प्रतिदिन के आधार पर लगाऐ जा सकते हैं।
10. कुशल श्रमिक योग्य एवं अनुभवी होना आवश्यक हैं।
11. अनुबन्धित श्रमिक द्वारा विश्वविद्यालय सम्पति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति राशि अनुबन्धकर्ता से वसूल की जायेगी।
12. अनुबन्धकर्त्ता को नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पर 100 रुपये का इकरारनामा (अनुबन्ध) प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबन्ध राशि की 5 प्रतिशत राशि को प्रतिभूति राशि कि रुप में निर्धारित अवधि में जमा करना होगा।
13. अनुबन्ध के बीच में छोड़ने पर जमा प्रतिभूति राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जायेगी एवं अनुबन्ध को शेष अवधि में होने वाले अधिक व्यय नुकसान/हानि की वसूली अनुबन्धकर्ता से की जायेगी।
14. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर नई निविदा आमंत्रित कर ली जायेगी। स्वीकृत दर से अधिक दर पर भुगतान करने पर मूल अनुबन्धकर्ता से अधिक भुगतान की गई राशि वसूल की जायेगी।
15. अनुबन्ध की अवधि में किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्त्ता की होगी। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय की किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जायेगी।

16. अनुबन्धकर्त्ता का यह दायित्व होगा कि आदेश के अनुसार कर्मचारी उपलब्ध करावे, निर्धारित संख्या में श्रमिक उपलब्ध नहीं करने की अवस्था में 200/– रुपए प्रति श्रमिक प्रति दिवस की दर से अनुबन्धक से वसूली की जाएगी।
17. कुशल एवं अकुशल श्रमिकों का नाम, पता एवं तकनीकी ज्ञान की जानकारी लिखित में विश्वविद्यालय को देना होगा जैसे ही कर्मचारी बदला जाये उसकी सूचना मय सम्पूर्ण विवरण के सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।
18. कुशल कर्मचारी को तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक होगा अन्यथा श्रमिकों को अनुबन्ध पर नहीं रखा जाएगा।
19. अनुबन्ध पर रखे कर्मचारियों का भुगतान विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में विश्वविद्यालय परिसर में सुबह 11 से 2 बजे की अवधि में करना होगा एवं अगले माह के विपत्र पर इस प्रकार का प्रमाण पत्र अंकित किया जाना आवश्यक हैं अन्यथा विपत्र पारित नहीं किया जायेगा।
20. सेवा शुल्क के रुप में लगने वाली राशि का उल्लेख स्पष्ट रुप से करें अन्यथा यह माना जायेगा कि प्रेषित दरों की सेवा शुल्क का भुगतान सम्मिलित हैं यदि सेवा शुल्क देय होगा तो उसका भुगतान आप द्वारा ही किया जायेगा। इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
21. कार्य दिवस में यदि कोई श्रमिक बिना सूचना अनुपस्थित रहता हैं तो प्रति श्रमिक रुपये 200/– प्रति दिवस विपत्र से कटौति कर दी जाएगी।
22. अनुबन्धकर्त्ता किसी भी कर्मचारी के कार्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा।
23. अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मचारियों की पहचान से सम्बन्धित सूचक आवश्यक हैं।
24. सेवाकर नहीं लगने की स्थिति में निविदादाता द्वारा 10 रुपये के नॉन– ज्यूडिसियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र प्रेषित करना होगा कि उसकी फर्म वार्षिक कारोबार के अनुसार सेवाकर की श्रेणी में नहीं आती हैं। अनुबन्ध अवधि में सेवाकर नियमों में संशोधन होने की स्थिति में अनुबन्धकर्त्ता (निविदादाता) ही पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगा।

25. आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर एवं सरचार्ज की कटौती निविदादाता को देय राशि में से विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिमाह की जायेगी। निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीयन/ लाईसेन्स के प्रमाण– पत्र की फोटोप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी

26. ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध आधार पर जो व्यक्ति उपलब्ध करवाता है, उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 62 वर्ष की रहेगी।

27. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाए गए व्यक्तियों में से यदि कोई व्यक्ति लगातार 3 दिनों तक कार्य से अनुपस्थित रहता है। तो ठेकेदार को उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति उपलब्ध करवाना होगा। अन्यथा प्रतिदिन 100/– रूपये के हिसाब से शास्ति के रूप में ठेकेदार से वसूल किये जायेंगे।

28. ठेकेदार को ठेका समाप्त होने के तीन माह पश्चात जमा धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि का भुगतान किया जायेगा यदि उसके विरूद्ध कोई बकाया नही हो। किसी भी प्रकार का बकाया होने की स्थिति में बकाया का समायोजन उक्त जमा राशि में से किया जायेगाा।

29. निविदादाता द्वारा इस आशय की घोषणा/अण्डरटेकिंग दी जायेगी कि वह पूर्व में किसी विभाग/संस्था/सरकार द्वारा असंतोषजनक कार्य/दुराचरण/दोष सिद्धि के कारण आरोपित नहीं किया गया है तथा न ही ब्लेक लिस्टेड किया गया है।

30. अनुबन्ध पर रखे कर्मचारी निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगें।

31. ड्यूटी समय पर अपने कार्य स्थल का छोड़कर अन्य कहीं नहीं जायेंगे।

32. ड्यूटी समय में अपने कार्य स्थल का अन्य कर्मचारी को कार्य सम्भालने तक कार्य करेंगे तथा ड्यूटी अवधि में मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा। श्रमिकों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता हैं तो उसके लिये सम्बन्धित

निविदादाता ही व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी रहेगा तथा विश्वविद्यालय के विरुद्ध की गई सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।

33. अनुबन्ध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिकों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता उत्तरदायी रहेगा।
34. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की समस्त शर्तें एवं नियम लागू होंगे।
35. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
36. न्याय क्षेत्र केवल जोधपुर ही रहेंगा।
37. श्रमिकों के पी. एफ. एवं ई. एस. आई. (प्रभावशील होने पर) राशि में पृथक उल्लेख निविदा में करना होगा। पी. एफ. एवं ई. एस. आई. राशि के संबंध में उल्लेख नहीं करने पर श्रम नियमों के अन्तर्गत सम्पूर्ण राशि जमा करवाने का दायित्व निविदाकार स्वयं का होगा।
38. निविदा के साथ निविदाकार को निम्न प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक हैं। जिसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
39. अमानत राशि रुपये 40,000/– का डी.डी. संलग्न करना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
40. निविदा सूचना में अंकित शर्तें निविदा प्रपत्र का भाग माना जाएगा।

हस्ताक्षर कुलसचिव **हस्ताक्षर निविदादाता**

उपरोक्त सभी शर्तों मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं, जिससे मैं पूर्णतया सहमत हॅू एवं मेरे द्वारा दरें सोच–समझ कर दी गई है जिसमें अनुबन्ध की अवधि में मानने को बाध्य रहूंगा एवं सभी नियम एवं शर्तों की पालना करुंगा।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, दईजर, जोधपुर

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदा प्रपत्र जारीकर्ता के हस्ताक्षर

क्रम संख्या...............

निविदा प्रपत्र का मूल्य :–

अन्तिम तिथि एवं समय :–

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर

निविदा प्रपत्र

उच्च कुशल, कुशल कर्मचारी, अर्द्धकुशल कर्मचारी, अकुशलकर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाईकर्मी, चौकीदार) उपलब्ध करवानें हेतु :–

निविदा सूचना संख्या –

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/ परिसर /छात्रावासों आदि के कार्य हेतु।

1. फर्म /संस्था का नाम ....
2. फर्म / संस्था की कार्य प्रकृति ....
3. फर्म / संस्था पूरा पता एवं दूरभाष ....
   ....
   ....
4. पंजीकृत कार्यालय का नाम ....
   (प्रमाण – पत्र संलग्न करें)
5. श्रम विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की ....
   प्रति।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्याालय, दईजर, जोधपुर

6. आयकर पैन नम्बर ....
7. बैंक का नाम एवं खाता संख्या ....
8. प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराने की दर (सर्विस चार्ज एवं अन्य करों सहित)

क्र.सं.	पद	दर प्रतिदिन (अंको एवं शब्दों में)	दर प्रतिमाह (अंको एवं शब्दों में)
1	उच्च कुशल		
2	कुशल कर्मचारी		
3	अर्द्धकुशल कर्मचारी		
4	अकुशलकर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी,सफाईकर्मी,)		

मैंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित संलग्न निविदा के नियम व शर्त का सावधानीपूर्वक अवलोकन/अध्ययन कर लिया है। उपयुक्त शर्तो एवं नियमों के अन्तर्गत मेरे द्वारा प्रस्तावित दरों के लिए मैं बाध्य रहूँगा/ रहूँगी तथा उक्त दरों में समस्त प्रकार के कर दायित्व सम्मिलित है, जिसका भुगतान सरकार को निर्धारित दरों पर मेरे द्वारा किया जाना है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नोट :- 1. संलग्न समस्त दस्तावेजों पर निविदाकर्ता अपने नाम के साथ हस्ताक्षर करें।

2. विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त दरो (जो कि सर्विस चार्ज एवं समस्त करों सहित हैं) के अतिरिक्त के तहत स्त्रोत पर आयकर / सरचार्ज की कटौती की जाकर भुगतान किया जायेगा।